अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

64 13.02.2024	न्यायालय उपायुक्त, रॉची विविध अपील वाद सं० 02 आर० 15/2017–18 1. सुरज कच्छप उर्फ लच्छु उरॉव अमरूल अंसारी पिता स्व० फुगलु उरॉव 2. रोहन कच्छप. पिता स्व० फुगलु उरॉव निवासी दिनकर नगर, पोस्ट हटिया, जिला रॉची ..... अपीलकर्त्ता बनाम सुकरो उरॉईन पति स्व० लच्छु उरॉव निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना जगरनाथपुर, जिला रॉची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने विद्वान लगान वाद उप समाहर्त्ता, सदर, रॉची के द्वारा परमिशन वाद सं० 1032 आर० 8II/2015–16 मे दिनांक 18.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत्त विद्वान लगान वाद उपसमाहर्त्ता सदर, रॉची ने उत्तरवादी के द्वारा धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मौजा हिनु, थाना सं० 225, जिला रॉची के खाता सं० 172, प्लॉट सं० 1317 रकबा 10 डिसमिल भूमि को क्रेता सौरभ उरॉव पिता श्री कमला उरॉव निवासी ग्राम गितिल पिड़ी, थाना जगरनाथपुर, जिला रॉची के पक्ष मे हस्तांतरित करने का अनुमति प्रदान किया गया है। विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस अपील वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता काफी लम्बे अवधि से प्रस्तुत अपील मे उपस्थित नही हो रहे है। पुनः आज भी	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 2

	पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत अपील वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति लगानवाद उप समाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.03.11 03:25:46 -07:00
Location: 192.168.1.5